THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) M/s. Punjab Wireless Systems Ltd, have entered into Foreign Collaboration with M/s. Japan Radio Co. (JRC) of Japan for the manufacture of "Long range radio communication equipments". Within the scope of this agreement, M/s. JRC had also agreed for transfer of technology for digital radio relay and digital multi-access radio (TDMA) equipment.

(b) The above mentioned foreign collaboration proposal was approved by the Government in March, 1985.

(c) The terms accepted by the Government include payment of a lumpsum know-how fees of 30 million Japanese Yen and a royalty payment of 3 per cent.

विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रिक्त पद

471. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रा[illegible] :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनेकों स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के कई उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के स्थान भी रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में निर्णय के लिए आने वाले मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष की पहली छमाही में इनकी संख्या में गत वर्ष की संख्या की तुलना में कितनी अधिक वृद्धि हुई है और सरकार इन मामलों को शीघ्र से शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 1-11-1988 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों के कुल 444 स्वीकृत पदों में से 65 पद रिक्त थे।

(ख) तारीख 1-11-1988 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के 3 पद रिक्त थे।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के प्रथम छह मास के दौरान संस्थित किए गए मामलों की संख्या के बारे में जानकारी उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदमों में सिविल प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन करना, समान विधि-प्रश्नों वाले मामलों को एक ग्रुप में रखना, सुनवाई के लिए निकटवर्ती तारीखें नियत करना और कई मामलों में अभिलेख के मुद्रण को समाप्त करना, सम्मिलित है। तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालयों को भेजी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे अब बढ़ाकर 444 कर दिया गया है। इसके और भी बढ़ाए जाने पर सहमति हो गई है।